रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1971/चैत्र 11, 1893

No. 249] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1971/CHAITRA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st April, 1971

S.O. 1488.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Britannia Engineering Company Limited, Calcutta, is engaged in the scheduled industries namely, railway rolling stock, road rollers and tea machinery.

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured by the said Industrial undertaking had been gradually going down;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation and to ensure that production of the said articles does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

Shri S. M. Ghosh, Joint Secretary, Ministry of Industrial Development and Internal Trade, New Delhi.

Members

1. Shri S. K. Sinha, Senior Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development and Internal Trade, New Delhi.
2. Shri A. S. Bhandari, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Cement Corporation of India Limited, New Delhi.

The above body shall submit its report to the Central Government within a period of three months from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 6(5)/71-MEI.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 1 अप्रैल, 1971

का० आ० 1488.—यतः मेसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम जो अनुसूचित उद्योगों अर्थात् रेलवे रोलिंग स्टाक, रोड रोलरों तथा भारी मशीनों में उत्पादनरत है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा निर्माण की जा रही वस्तुओं का उत्पादन धीरे-धीरे कम होता जा रहा था ;

और यतः भारत सरकार का मत है कि स्थिति का उपचार करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनहित में उक्त वस्तु के उत्पादन का अनहित न हो तत्काल उचित अभ्युपाय किये जायें ;

अब इस कारण से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा प्रकरण की स्थितियों की पूर्ण जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है :—

अध्यक्ष

श्री शि० मो० घोष,
संयुक्त सचिव,
औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

सदस्यगण

1. श्री एस० के० सिन्हा,
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2. श्री ए० एम० भण्डारी,
वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी,
सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

उपर्युक्त निकाय इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे देगा ।

[सं० एफ० 6(5)/71-एम०ई० आई०]

एम० के० महगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971